न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 19/2012

अनवान :

1. इन्द्रावती पत्नी जगदीश जाति राजपुत आयु 46 वर्ष निवासी नुईयावाली तहसील डबवाली।

– **वादीया**

बनाम

1. घीसेखॉ वल्द जमालुदीन जाति कसाई निवासी वार्ड नं0 11 भादरा।
2. भप्पू पुत्र शकूर जाति कसाई निवासी वार्ड नं0 19 त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए जिला क्लैक्टर महोदय हनुमानगढ़।
5. नगरपालिका भादरा जरिए अधिशाषी भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वा घोषणात्मक अनुतोष वर विनाय शहादत हर किस्म

उपस्थिति : वकील श्री दीवानसिंह **: वादिया**

वकील श्री कपूरचन्द शर्मा **: प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 20.12.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की भुआ महताब की रोही चक 8 बारानी भादरा पटवार हलका डोबी के खाता संख्या 306/264 के मु0 नं0 130 के किला नं0 6 की 0.2530 हैक्टेयर गैरखातेदारी कृषि भूमि थी। नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 संलग्न वाद है। गैरखातेदार महताब का देहान्त दिनांक 27.03.1997 को ग्राम नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ मे हो चुका है। महताब के देहान्त के समय प्रथम श्रेणी का कोई भी वारिस जिन्दा नही था, ना ही महताब के कोई औलाद थी। महताब लावल्द फौत हुई थी।

महताब ने अपने कोई प्रथम श्रेणी का वारिस व कोई औलाद नही होने के कारण अपने भाई चिमनसिंह के पास नुकेरा मे रहना शुरू कर दिया था व जीवन पर्यन्त महताब नुकेरा मे ही रही ओर अन्तिम यात्रा भी नुकेरा मे ही निकली थी। महताब के भाई चिमनसिंह का देहान्त ग्राम नुकेरा मे दिनांक 10.01.1985 को हो गया था, इसलिऐ वादीया ही मृतका महताब की नजदीकी रिस्तेदार Legal Hairs है, एवं महताब ने अपने जीवन काल मे ही एक वसीयत दिनांक 22.11.1996 बरोबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवा दी थी, उक्त वसीयत अन्तिम वसीयत है। इसलिऐ महताब के गुजरने के बाद वाद भूमि महताब के नजदीकी वारिस होने के कारण वादीया को कानूनन विरासतन प्राप्त हुई।

अतः वादीया यह घोषणा करवा पाने की कानूनी अधिकारी है कि वादीया वाद भूमि की खातेदार काश्तकार है चक नं0 8 बारानी की भूमि पैराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, तथा कृषि भूमि की कीमतें अधिक हो गई है। इस कारण बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ताकत व बल पर वाद भूमि की कीस्म को प्रवर्तित करवाये बिना अकृषि कार्य के उपयोग मे लेकर छोटे छोटे भूखण्ड काटकर निर्माण कार्य कर रहे है। इस प्रकार निर्माण करने से वादीया का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

कृषि कार्य प्रभावित होता है, तथा वादीया औरतजात है, तथा नुईयावाली मे रहती है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद भूमि मे भूखण्ड निर्माण करक कब्जा लोगो को सौप देते है तो वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की कानूनी अधिकारी है कि वे वादीया के कब्जा काश्त मे दखल अन्दाजी नही करे व वाद भूमि की किस्म प्रवर्तित करवाये बिना कोई निर्माण कार्य नही करे, छोटे–छोटे भूखण्ड नही काटे व अन्य लोगो को बेचान कर कब्जा नही सौपे।

दावा राजस्थान सरकार के खिलाफ पेश किया जा रहा है। कानूनन राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा वादीया आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही दावा न्यायालय की ईजाजत से पेश किया जा रहा है। इजाजत के लिए अलग से आवेदन पेश किया जा रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जबाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी सं0 5 को जबाब पेश नहीं होने के कारण जबाबदेही बन्द की गई।

वाद एवं परिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि चक नं0 8 बारानी भादरा के मुरबा नं0 130 के किला नं0 6 की 0.2530 है0 बारानी कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 22.11.1996 के आधार पर खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा पाने की अधिकारिणी है ?

   — वादिया

2. आया कि वाद भूमि के सम्बन्ध में वादिया प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि वे ताकत के बल पर वादिया के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे। कृषि भूमि का किस्म परिवर्तन करवाये बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करे व कब्जा अन्य लोगों को नहीं सौंपे।

   — वादिया

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादिया में इन्द्रावती उर्फ इन्द्रा पत्नी जगदीश, सुभाष पुत्र नीकाराम व विनोद पुत्र झाबरराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी चक 8 बारानी खाता सं0 306/264 सम्वत् 2065 प्रदर्श 1, जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 8 बारानी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049 प्रदर्श 4, असल वसीयत दिनांक 22.11.96 प्रदर्श 5 जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 5ए व शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी घीसे खां के बयान करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में दो तनकीयात कायम की गई है दोनों तनकीयात साबित करने का भार वादिया पर है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी सं0 1 के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विवेचन में विवादित भूमि महताब पत्नी स्वर्गीय सुगनसिंह जाति राजपूत के नाम से रिकार्ड जमाबन्दी प्रदर्श 1 में दर्ज है व उक्त भूमि के बाबत वादिया ने जो प्रदर्श 5ए वसीयतनामा दिनांक 22.11.96 प्रदर्शित करवाया है उसके सम्बन्ध में कानूनी विवेचन करने पर प्रथम दृष्टया वादभूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत वसीयत करने का अधिकार केवल खातेदार को है। इस प्रकार प्रदर्श 5ए के आधार पर वादिया किसी प्रकार के हक की घोषणा रही करवा सकती है इसके अलावा वादिया ने अपने हकों की घोषणा का कोई आधार नहीं बताया है व वाद भूमि की बाबत तहसील भादरा से दिनांक 01.01.14 को वाद भूमि की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई है उसमें वादभूमि को

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

पेराफेरी क्षेत्र में होना व विवादित भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 घीसे खां का कब्जा होना व पडौसी काश्तकारान द्वारा विवादित भूमि पर महताब के वारिसों का कब्जा नहीं होना बताया है इस प्रकार विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा भी साबित नहीं होता है प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाबदावा में वाद भूमि को क्रय करना बताया है जिसका भी कोई खण्डन वादिया ने नहीं किया है इस प्रकार तनकी सं0 1 वादिया साबित करने में कतई असफल रही है। इसलिए इस तनकी को विरूद्ध वादिया तय किया जाता है।

तनकी सं0 2 स्थायी निषेधाज्ञा बाबत है विवादित भूमि की वादिया न तो किसी श्रेणी की खातेदार काश्तकार है व न ही उसका वाद भूमि पर कोई कब्जा साबित है इसलिए यह तनकी भी विरूद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

इस प्रकार दोनों तनकीयात जो वादिया को साबित करनी थी जिन्हे वह साबित करने में असफल रही है, इसलिए वाद वादिया खारिज किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादिया साबित करने में असफल रही है फलस्वरूप वाद वादिया खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 19/2012

अनवान :

1. इन्द्रावती पत्नी जगदीश जाति राजपुत आयु 46 वर्ष निवासी नुईयावाली तहसील डबवाली।

– वादीया

बनाम

1. घीसेखॉ वल्द जमालुदीन जाति कसाई निवासी वार्ड नं0 11 भादरा।
2. भप्पू पुत्र शकूर जाति कसाई निवासी वार्ड नं0 19 त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए जिला क्लैक्टर महोदय हनुमानगढ़।
5. नगरपालिका भादरा जरिए अधिशाषी भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री दीवानसिंह एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एंव वाद वादिया साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.12.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

अधिकारी (राजस्व)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़